



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उपरोक्त संस्थाका उपकरण)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शाश्वत मन्दिर, 14 अशोक भावना, लखनऊ।

संख्या: 3617-पारेओनु०-16 / पाट्राकालि-2018-74/2013

दिनांक: १९ सितम्बर, 2018

समस्त मुख्य अधिकारी (स्तर- I एवं II),
 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
 समस्त अधीक्षण अधिकारी,
 समस्त उप महाप्रबन्धक,
 उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो।

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमत्य कराये जाने की कार्यवाही के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं-4561-पारेओनु०-16/पाट्राकालि-2017-74/13 दिनांक 29.12.17 एवं तत्काल में जारी कारपोरेशन के 2787-पारेओनु०-16/पाट्राकालि-2018-74/13 दिनांक 27.07.18, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों की अनुरूपता में शासन की सहभाति से दिनांक 01.01.2016 से किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित दरों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान आदेश शीघ्र एवं सुगमता से जारी कराये जाने के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग में पेंशन की पुनरीक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र सं-1239-पारेओनु०-16/पाट्राकालि-2018-74/2013 दिनांक 10.05.2018 के माध्यम से दिनांक 01.01.2016 के पूर्व विभिन्न वेतन आयोगों में वेतन पुनरीक्षण एवं तदनुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन के निर्धारण हेतु जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स को जिस अन्तिम वेतनमान/वेतन के अनुसार पेंशन अनुमत्य करायी जा रही है उसी अन्तिम वेतनमान/वेतन के आधार पर कारपोरेशन के उक्त पत्र के माध्यम से जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) में संगत तालिका के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सुगमता से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस कार्यवाही में यदि किसी मामले में अन्तिम आहरित वेतनमान/वेतन में कोई भ्रम की स्थिति पेंशन पत्रावली के अभिलेखों में उत्पन्न हो तो उसका निराकरण सम्बन्धित पेंशनर्स की सेवा पुस्तिका से (अराजपत्रित मामलों में) तथा लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा से (राजपत्रित मामलों में) पुष्टि करके किया जा सकता है।

यहाँ पर पुनर्स्पष्ट किया जाता है कि कारपोरेशन के आदेश सं-1239-पारेओनु०-16/पाट्राकालि-2018-74/2013 दिनांक 10.05.2018 के अनुसार जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) तथा लेखाधिकारी (पेंशन) के

(2)

संयुक्त हस्ताक्षर से विदीक्षोपरान्त जारी किया गया है इसलिए दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के सम्बन्ध में अलग से उनके वेतन का नोशनल वेतन निर्धारण अथवा विधीका कराये जाने की या इस सम्बन्ध में पेंशनर्स विशेष से कोई भी सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

2. उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग-02 के शासनादेश सं0-7/2018/1247/24-पी-2-18-स0 (84)/2014 दिनांक 29.06.2018 के बिन्दु-05 में की गयी व्यवस्था कि “अनन्तिम पेंशन का भुगतान छ: माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छ: माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।”

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2018 से लागू व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु कोषागारों से सम्बन्ध स्थापित कर अनन्तिम पेंशन का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रकरण जिनमें विभागीय जॉच/विभागीय स्तर पर लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं की जा सकी है उन मामलों में विभागीय जॉच/लम्बित अनुशासनाल्क कार्यवाही सक्षम कार्यालय के स्तर से छ: माह में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अन्तिम पेंशन की स्वीकृति/अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दी जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय में प्रकरण विद्वाराधीन/लम्बित हैं केवल उन्ही मामलों में अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि का विस्तारण छ: भाह अथवा बारह माह जैसी भी स्थिति हो, के उपरान्त कराया जाये। पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में इस तथ्य का स्पष्ट/विशिष्ट उल्लेख भी कर दिया जाये।

3. दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन निदेशालय/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के स्तर से की जा रही है। इस सम्बन्ध में पेंशन निदेशालय स्तर से कठिपय मामलों में यह सूचना प्राप्त हुई है कि पेंशन प्रपत्रों को सम्पूर्णता में सभी सूचनाओं/पेंशनरी देयों के आकलन सहित नही भरा जा रहा है तथा वांछित सूचनाओं के सापेक्ष मात्र नियमानुसार अथवा यथा देश का अंकन करके ही पेंशन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे पेंशन के निस्तारण में कठिनाई एवं विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र सं0-2787-पारेओन्यु-16/पाद्राकालि-2018-74/13 दिनांक 27.07.18 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं अतएव तदनुसार कार्यवाही कराते हुये समस्त सूचनाओं सहित पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण कराकर यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन की पूर्ण धनराशि पूर्ण गणना के अनुसार अंकित कराते हुये तथा वांछित अभिलेखों को संलग्न करते हुये पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन निदेशालय अथवा मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किया जाये जिससे पेंशन के निस्तारण में किसी भी प्रकार की विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना न रहे।

संलग्नक : यशोपरि।

भवदीय,


(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सभिय (पारेकण)

संख्या : ३८१७-पारेशन०-१८/धाराकालि/२०१८-७४/२०१३/तद॑दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अधिकारी/अधीक्षण अधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
8. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अधिकारी अधिकारी अधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (प्रैशन), लखनऊ।
13. कम्बनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
14. अधिकारी अधिकारी (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

आङ्ग से


(मुकुन्द सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारेशन)